परिपत्र संख्या 02/2021

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांक: एफ–7(39)जन/2021/830 दिनांक : 01/02/21

~:~ परिपत्र ~:~

विषयः– महालेखाकार ऑडिट दल द्वारा बनाए गए नियम विरूद्ध एवं निराधार आक्षेपों की उप पंजीयकों द्वारा जाँच एवं परीक्षण किए बिना रेफरेन्स दर्ज करने की परिपाटी को रोकने के संबंध में।

प्रसंगः– श्रीमान शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/2015 जयपुर दिनांक 12.01.202

महालेखाकार ऑडिट दल द्वारा बनाए गए नियम विरूद्ध एवं निराधार आक्षेपों की उप पंजीयकों द्वारा जाँच एवं परीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि इस विषय के सम्बंध में वित्त(कर) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.26(7)वित्त/कर/2013 दिनांक 24.02.2015 के सम्बंध में विभाग के पत्रांक एफ–6/एजी/सामान्य/453–1027 दिनांक 04.03.2015 में जारी निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है।

इस परिपत्र के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि महालेखाकार आडिट दल द्वारा सम्बन्धित अधिनियम, नियम या राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के उल्लंघन में गठित आडिट आक्षेपों का समुचित विधिक परीक्षण किए बिना ऐसे आक्षेपों के आधार पर यदि उप पंजीयकों द्वारा पक्षकारों की वसूली का नोटिस जारी किया जाता है अथवा प्रकरण सम्बन्धित कलक्टर(मुद्रांक) के न्यायालय को रेफरेन्स कर दिया जाता है तो ऐसी कार्यवाही न केवल राजस्व की दृष्टि से निरर्थक है अपितु पक्षकरों के लिए भी कष्टदायी है। विधिक आधार की समीक्षा किए बिना दर्ज करवाए गए प्रकरणों में कोई राजस्व प्राप्ति नहीं होगी, अपितु पक्षकरों के साथ–साथ विभाग के समय, धन तथा श्रम की हानि अवश्य होती है।

वित्त विभाग के स्तर से जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अनेकों प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें ऑडिट आक्षेप स्पष्ट रूप से सम्बन्धित अधिनियम नियम या अधिसूचनाओं के प्रावधानों के विपरित होने के बावजूद उप पंजीयकों द्वारा ऐसे आडिट आक्षेपों के आधार पर वसूली नोटिस जारी किए गए है अथवा प्रकरणों का रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय को किया गया है। वित्त विभाग के स्तर से पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 24.02.2015 के अनुसरण में पुनः निर्देश जारी किए जाते हैं कि इस परिपत्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे तथा ऑडिट आक्षेपों का अध्ययन किए बिना उनका औचित्य जाने बिना मशीनकृत ढंग से नोटिस जारी कराने वाले उप पंजीयकों के विरूद्ध उचित पर्यवेक्षण एवं अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

1/2/21

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/2021/831-1424 दिनांक : 01/02/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
3. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
8. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यांलय, अजमेर।

1/2/21

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर